सं0 1345 /IV(2)-श0वि0–2013–28(JnNURM)08

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक–०१ सितम्बर, 2013

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के 12 चौराहों का सुधार परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शा0सं0–भा0स0:67/IV–श0वि0–09–28(एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 20.3.2009, सं0–भा0स0:170/IV(2)–श0वि0–11–28(एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 04.02.2011, सं0–भा0स0: 1189/IV(2)–श0वि0–11–28(एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 13.09.2011 एवं सं0–624/IV(2)– श0वि0–09–28(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 22–05–2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के 12 चौराहों का सुधार परियोजना हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत ₹1765.05 लाख हेतु प्राप्त केन्द्रांश तथा उक्त के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल ₹1147.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(9)/PF-I/2011-388, दिनांक 12.07.2013 द्वारा सी0एस0एम0सी0 की 122वीं बैठक में उपरोक्त परियोजना हेतु चतुर्थ किस्त के रूप में ₹ 353.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परियोजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश ₹ 353.01 लाख एवं उक्त के सापेक्ष राज्यांश ₹88.25 लाख, इस प्रकार **कुल ₹441.26 लाख (₹ चार करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1 उक्त धनरोशि **₹441.26 लाख (रूपये चार करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित **कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि को अपने पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी।

2 परियोजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों पर एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

3 उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

4 **कार्यदायी संस्था से मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने पर ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जाए।**

5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6 निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

7 सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

8 स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

9 निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

10 कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

11 कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

12 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2013–14** के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे **₹348.59 लाख, अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे **₹79.43 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय, आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05– नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में **₹13.24 लाख** धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–421/XXVII(2)/2013, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S..131013002९.........., S..1310300030...... एवं S..1310130031...के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

3/–

सं0 1345/IV(2)-श0वि0-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।